:/: शपथ पत्र:/:

न्यायालय:- श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी :- 3854 एक-2016

R4655/2018 दमोह

सेवक चौरसिया --- आवेदक

बनाम

माधव व अन्य ---अनावेदकगण

मै सेवक राम चौरसिया उम्र 72 साल पिता खुनके लाल चौरसिया साकिन टंड्न बगीचा गायत्री गेट के पास दमोह तहसील व जिला दमोह शपथ पूर्वक निम्न कथन करता हू:-

1. यह कि मैने उक्त निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी ।

2. यह कि मै स्वयं अधिवक्ता के साथ निगरानी प्रस्तुति दिनांक से लगातार उपस्थित रहा,आर्डर सीट का अवलोकन करने की कृपा करे ।

3. यह कि संयोगवश मार्च 2018 मे मेरे सगे भाई एवं मेरे अधिवक्ता के सगे बडे पिता जी को हार्ट अटैक आ जाने से दिनांक 21.03.2018 को न्यायालय मे उपस्थित नही हुए,जिस कारण से उक्त प्रकरण डी.डी.हो गया ।

4. यह कि 15.07.2018 को जब मुझ को ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण 21.03.2018 को डी.डी.हो गया,तब मैने अपने अधिवक्ता सहित दिनांक 16.07.2018 को माननीय न्यायालय मे उपस्थित हुआ ।

5. यह ह कि उक्त निगरानी मे मै व मेरे अधिवक्ता की अनु-- पस्थिति परिस्थिति वश थी जो कि क्षमा किए जाने योग्य है ।

==2==

सेवकराम चौ०

SUDHA HAZARI NOTARY / ADVOCATE DAMOH, Distt Damoh (M.P) 30 JUL 2018

NOTARY - INDIA SUDHA HAZARI NOTARY DAMOH (M.P.) M.P. GOVERNMENT

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

रेस्टो.–4655/2018/दमोह/भू.रा.

<u>सेवक राम चौरसिया विरूद्ध माधव चौरसिया</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–08–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आलोक श्रीवास्वत उपस्थित। 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुये रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार कर मूल निगरानी प्रकरण क्रमांक 3854–एक/2016 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। 3/ पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल हो । 8/8/18 (आर.के. जैन) सदस्य	